



व्यापार की योजना
आय सृजन गतिविधि – वर्मी-कम्पोस्ट
द्वारा
कोके- स्वयं सहायता समूह



एसएचजी/सीआईजी नाम	::	कोके
वीएफडीएस नाम	::	कोके
श्रेणी	::	ज्वालामुखी
वन मंडल	::	देहरा वन मंडल

इसके अंतर्गत तैयार किया गया:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना (जाईका समर्थित)

एसएचजी – कोके ,

वीएफडीएस – कोके ,

रेंज – ज्वालामुखी ,

वन मंडल – देहरा

विषय सूची

क्रमांक	िवरण	पृष्ठ/पृष्ठों
1	पृष्ठ भूमि	3
2	एसएचजी/सीआईजी का िवरण	4
3	लाभार्थियों का विवरण	5
4	गाँव का भौगोलिक िवरण	5
5	आय सृजन गतिविधि से संबधित उत्पाद का िवरण	5
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	6
7	उत्पादन योजना	6
8	विक्री एवं विपरण	7
9	स्वोट अनैलिसिस	8
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का िवरण	9
11	अर्थशास्त्र का विवरण	9
12	आर्थिक िवश्लेषण का िनष्कर्ष	10
13	निधी आवश्यकता	11
14	निधि के स्रोत	11
15	बैंक ऋण का पुनर्भुगतान	12
16	प्रशिक्षण /क्षमता निर्माण /कौशल उन्नयन	12
17	निगरानी विधि	12
18	समूह सदस्यों की तस्वीरें	13
19	DMU से स्वीकृति	14-16

सरल उत्पादन तकनीकों तथा इससे जुड़े पारिस्थितिक, आर्थिक एवं मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन में उद्यमियों द्वारा बड़ी संख्या में वर्मीकम्पोस्टिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, विशेष रूप से देश के दक्षिणी एवं मध्य भागों में।

वर्मीकम्पोस्टिंग के प्रमुख पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ हैं, क्योंकि यह टिकाऊ कृषि उत्पादन तथा किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कई गैर-सरकारी संगठन, सामुदायिक संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा अन्य संस्थाएँ वर्मीकम्पोस्टिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास कर रही हैं, जिससे इसके आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित हो सकें।

केंचुआ खाद

केंचुओं के पालन-पोषण द्वारा खाद उत्पादन की प्रक्रिया को वर्मीकम्पोस्टिंग कहा जाता है। इस तकनीक में केंचुए जैविक अवशेषों को खाते हैं तथा उन्हें पचाकर मल के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे वर्मीकम्पोस्ट या केंचुआ खाद कहा जाता है।

यह छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के किसानों के लिए खाद उत्पादन की सबसे सरल तथा किफायती विधियों में से एक है। वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि पर स्थापित की जा सकती है जो कृषि उपयोग में न हो, लेकिन छायादार हो तथा जलभराव से मुक्त हो। यह स्थान जल स्रोत के निकट होना चाहिए।

वर्मीकम्पोस्टिंग, जिसे सामान्यतः “कचरे से सोना” कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सरल तकनीक होने के कारण कई किसान वर्मीकम्पोस्टिंग को अपना रहे हैं, क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, उसकी उत्पादकता बढ़ाती है तथा कृषि लागत को कम करने में सहायता करती है।

जैविक खेती की बढ़ती मांग के कारण वर्मीकम्पोस्ट की मांग में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

1. एसएचजी/सीआईजी का िववरण

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	कोके
वीएफडीएस	::	कोके
श्रेणी	::	ज्वालामुखी
वन विभाग	::	देहरा
गाँव	::	कोके
बीट	::	हबरोल
जिला	::	कांगड़ा
स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की कुल संख्या	::	09
गठन की ितिथ	::	09/09/2022

बैंक खाता संख्या	::	50100582029812
बैंक िववरण	::	HDFC देहरा
स्वयं सहायता समूह/सीआईजी मासिक बचत	::	50 रुपये
कुल बचत		800 रुपये
कुल अंतर-ऋण		1%
नकद ऋण सीमा		-
भुगतान की स्ितिथ		-

एसएचजी – कोके ,

वीएफडीएस – कोके ,

रेंज – ज्वालामुखी ,

वन मंडल – देहरा

2. लाभार्थियों का विवरण :

क्र. सं	उम्मीदवार का नाम	वार्ड	संपर्क नंबर	आयु	पद का नाम
1	सुनीता देवी पत्नी (अशोक कुमार)	कोके	8894258169	60	अध्यक्ष
2	निर्मला देवी, पत्नी भरम दास	कोके	9805830557	34	सचिव
3	सुदर्शन देवी पत्नी स्वर्ण कुमार	कोके	9816592077	38	सदस्य
4	रूमा देवी, पत्नी बलदेव सिंह	कोके	9805903937	45	सदस्य
5	सलोचना पत्नी (किशोर चंद)	कोके	9816242182	60	सदस्य
6	अंजना देवी, पत्नी देश राज	कोके	7877366189	44	सदस्य
7	सुनीता कुमारी, पत्नी करतार चंद ली	कोके	6230130501	41	सदस्य
8	राज कुमारी, पत्नी तिलक राज	कोके	8580285503	46	सदस्य
9	सरोज कुमारी पत्नी रमेश चंद	कोके	8891204390	45	सदस्य

3. गाँव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	55 कि.मी.
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	500 मीटर
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	बग्गी और 1 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम और दूरी	::	ज्वालामुखी और 15 किमी
3.5	प्रमुख शहरों के नाम और दूरी	::	ज्वालामुखी-15 किमी
3.6	उन मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा/विवरण किया जाएगा	::	ज्वालामुखी, कांगड़ा, देहरा, नादौन

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	::	केंचुआ खाद
4.2	तरीका का उत्पादन पहचान	::	यह गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लेके ली गई है।
4.3	स्वयं सहायता समूह/ सीआईजी/ क्लस्टर सदस्यों की सहमित	::	हाँ

5. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

चरण		विवरण
चरण 1	::	अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करें तथा उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद घास, कचरा, बायोमास तथा अन्य जैविक अपशिष्टों का भंडारण करें।
चरण -2	::	जैविक अपशिष्ट को लगभग 20 दिनों तक गोबर के घोल के साथ ढेर करके रखें, जिससे उसका पूर्व-पाचन (Pre-digestion) हो सके। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट अधिक नरम हो जाता है और केंचुओं के लिए उपयुक्त बनता है। गोबर और बायोगैस स्लरी को सुखाने के बाद भी उपयोग किया जा सकता है। ताजा गोबर का उपयोग वर्मी-कम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं करना चाहिए।
चरण-3	::	वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करने के लिए पक्का (कंक्रीट का) बेड या गड्ढा आवश्यक है। केंचुओं को खाद बनाने के लिए मिट्टी में डालने हेतु एक ठोस आधार होना चाहिए। ढीली मिट्टी में केंचुए आसानी से नीचे चले जाते हैं तथा सिंचाई के समय घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ बह सकते हैं।
चरण 4	::	वर्मी-कम्पोस्ट के परिपक्व होने के बाद केंचुओं को खाद से अलग करें। इसके लिए कम्पोस्ट सामग्री को छान लें। आंशिक रूप से तैयार कम्पोस्ट को पुनः वर्मी-कम्पोस्ट बेड में डाल दें ताकि वह पूरी तरह तैयार हो सके।
चरण-5	::	वर्मी-कम्पोस्ट को ऊँचे एवं सूखे स्थान पर संग्रहित करें, ताकि उसमें उचित नमी बनी रहे और लाभकारी सूक्ष्मजीवों का विकास हो सके।

6. उत्पादन नियोजन का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (वर्ष में तीन चक्र)
6.2	श्रमशक्ति आवश्यक प्रति चक्र (संख्या)	::	16
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घरेलू और निजी खेतों से
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	मुक्त बाज़ार
6.5	कच्चा माल - प्रति चक्र प्रति सदस्य आवश्यक मात्रा (किलोग्राम में)	::	2800 किलोग्राम प्रति चक्र
6.6	प्रति सदस्य प्रति चक्र अपेक्षित उत्पादन (किलोग्राम)	::	1400 किलोग्राम प्रति चक्र

7. विपणन/विक्री का विवरण

7.1	बाज़ार स्थान	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग, स्थानीय बाजार तथा अपने क्षेत्र में उपयोग हेतु।
7.2	इकाई से दूरी	::	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध/निकटवर्ती बाजार।
7.3	बाजार में उत्पाद की मांग	::	वन विभाग अपनी नर्सरियों के लिए भारी मात्रा में वर्मी-कम्पोस्ट खाद की खरीद करता है, इसलिए इसकी मांग निरंतर बनी रहती है।
7.4	प्रक्रिया बाजार की पहचान	::	वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद हेतु वन विभाग द्वारा समय-समय पर निविदाएँ/समझौते किए जाते हैं। यह उत्पाद स्वयं सहायता समूह (SHG) द्वारा निर्मित किया जाएगा।
7.5	विपणन रणनीति उत्पाद	::	स्वयं सहायता समूह के सदस्य बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय बाजार, कृषकों, नर्सरियों तथा वन विभाग से सीधे संपर्क कर उत्पाद का विपणन करेंगे।
7.6	उत्पाद ब्रांडिंग	::	प्रारंभिक स्तर पर उत्पाद का विपणन SHG के नाम से किया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता अनुसार उत्पाद की अलग ब्रांडिंग विकसित की जा सकती है।
7.7	उत्पाद का नारा	::	"प्रकृति के अनुरूप, गुणवत्ता से भरपूर कोके वर्मी-कम्पोस्ट"।

ताकत (Strengths)

- स्वयं सहायता समूह के सदस्य पहले से ही विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।
- समूह के अधिकांश सदस्यों के पास 2 से 8 पशु हैं, जिससे जैविक खाद हेतु पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध रहता है।
- सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों एवं सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे वर्मी-कम्पोस्ट की मांग बनी रहती है।
- वर्मी-कम्पोस्ट निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध है।
- वर्मी-कम्पोस्ट निर्माण प्रक्रिया सरल एवं कम लागत वाली है।
- उत्पाद की पैकिंग एवं परिवहन अपेक्षाकृत आसान है।
- परिवार के अन्य सदस्य भी उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं।
- वर्मी-कम्पोस्ट का शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत लंबा होता है।

कमजोरियाँ (Weaknesses)

- उत्पादन की गुणवत्ता तापमान, आर्द्रता एवं नमी पर निर्भर करती है। आधुनिक तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है। उत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण बड़े बाजारों की मांग पूरी करना कठिन हो सकता है। अवसर (Opportunities) जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में बढ़ती जागरूकता के कारण वर्मी-कम्पोस्ट की मांग लगातार बढ़ रही है।
- वर्मी-कम्पोस्ट के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है।
- घरेलू एवं कृषि अपशिष्ट का उपयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है।
- कृषि विभाग, वन विभाग तथा अन्य संस्थाओं के साथ विपणन एवं आपूर्ति की संभावनाएँ उपलब्ध हैं।
- जैविक उत्पादों के बढ़ते बाजार से अच्छे मूल्य प्राप्त होने की संभावना है।

खतरे/चुनौतियाँ (Threats)

- प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
- बाजार में उपलब्ध अन्य जैविक खादों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- कच्चे माल की उपलब्धता में कमी आने पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
- लाभार्थियों की प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में कम भागीदारी परियोजना की सफलता को प्रभावित कर सकती है।

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

उत्पादन -कच्चे माल की खरीद सहित सभी कार्य व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा किए जाएंगे।

गुणवत्ता आश्वासन -समग्र रूप से

सफाई और पैकिजींग -समग्र रूप से

विपरण -समग्र रूप से

यूनिट की निगरानी -समग्र रूप से

आर्थिक विश्लेषण

10. अर्थशास्त्र का विवरण

(वास्तविक राशि रुपये में)

क्रं सं	विवरण	इकाइयों	मात्रा/ संख्याएँ	लागत (रु.)	कुल पूंजी लागत
ए	पूंजी लागत				
ए.1	गट्टे और शेड का निर्माण: लोहे/लकड़ी के शेड सहित निर्माण और श्रम लागत (आकार 10 फीट x 3 फीट x 3 फीट होगा)। कवर शेड की स्थापना		09	14000/व्यक्तिगत	126000/-
बी. 2	उप-योग (ए.1)				
	कुल पूंजी लागत				126000 रुपये/-

11 आवर्ती लागत					
	विवरण	इकाई	मात्रा	लागत	मात्रा
1.	बीज केंचुआ	प्रति किलो	8	रुपए	5000
2.	स्लरी/गोबर/अपिशष्ट की खरीद की लागत	टन	20	1000	20000
3.	पैकिजींग सामग्री	नंबर	Rs.	3	5000
4.	परिवहन	Rs.	Rs.	-	5000
	कुल				35000 रुपये/-

टिप्पणी -

चूंकि श्रम कार्य स्वयं स्वयं समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और गोबर/अपिशष्ट उनके पास पहले से ही उपलब्ध है और इन सामग्रियों की खरीद उन्हें नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आवर्ती लागत (श्रम लागत, गोबर/अपिशष्ट/अपिशष्ट की खरीद की लागत) को कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

शुद्ध लाभ का वितरण - उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा।

12. आर्थिक विशेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए एक गड्डे का आकार 10X3X3 फीट निर्धारित किया गया है।
- वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की लागत 4.2 रुपये प्रति किलोग्राम आती है।
- वर्मी-कम्पोस्ट (सरंक्षित पक्ष) की विक्री 8 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- शुद्ध लाभ 3.8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा।
- यह प्रस्ताव है की प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 5.4 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा एक वर्ष में 80 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन होगा।
- केंचुए की लागत को एकमुक्त राशि के रूप में रखा गया है।
- दूसरे वर्ष से आगे, विक्री के लिए अतिरिक्त मिट्टी उपलब्ध होगी (क्यूंकी वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान इसकी मात्रा बढ़ जाएगी)।
- वर्मी-कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक औद्योगिक गतिविधि है और इसे स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपना सकते हैं।

13. निधि की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना समर्थन 75%	स्वयं सहायता समूह योगदान 25%
1.	कुल पूंजी लागत	1,26,000/-	94,500/-	31,500/-
2.	कुल आवर्ती लागत	35000/-	-	35000/-
3.	प्रशिक्षण /क्षमता भवन/कौशल उन्नयन	6500/-	6500/-	-
	कुल =	167500/-	101,000/-	66,500/-

टिप्पणी -

- पूंजी लागत - 7परियोजना के अंतर्गत पूंजी लागत का 5% हिस्सा वहन किया जाएगा।
- आवर्ती लागत -स्वयं सहायता समूह/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण /क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

14. निधि के स्रोत:

परियोजना सहायता	<ul style="list-style-type: none"> पूंजी लागत का 75% परियोजना द्वारा मिलेगा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक में 1 लाख रुपये तक की राशि खाते में जमा की जाएगी। (जैसा परिक्रमी निधि) 	मशीन की खरीद /उपकरणों की स्थापना संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा सभी निर्धारित नियमों का पालन करने के बाद की जाएगी।
	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण/क्षमता भवन/कौशल उन्नयन खर्च का वहन इसके परियोजना के द्वारा किया जाएगा। 	
	<ul style="list-style-type: none"> यदि स्वयं सहायता समूह ऋण लेता है बैंक से 5% की सब्सिडी ब्याज दर जमा की जाएगी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान को डीएमयू द्वारा स्थापित संस्था और यह सुविधा केवल तीन लोगों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूहों को भुगतान करना होगा। मूलधन की किश्ते नियमित आधार पर राशि का भुगतान। 	
स्वयं सहायता समूह योगदान	<ul style="list-style-type: none"> पूंजी लागत का 25% स्वयं सहायता समूहों द्वारा वहन किया जाएगा आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया गया 	

17. बैंक ऋण का पुनर्भुगतान-

यदि ऋण बैंक से लिया जाता है, तो यह नकद क्रेडिट सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल योजना के तहत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के बकाया मूल ऋण का पूरा भुगतान बैंकों को एक बार में करना अनिवार्य है। वर्ष। ब्याज की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, बैंकों द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान करना आवश्यक है।
- परियोजना सहायता - 5% ब्याज दर की सब्सिडी डीएमयू द्वारा सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूह/सीआईजी को मूलधन की किश्तें नियमित रूप से चुकानी होंगी।

18. निगरानी विधि-

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखापरीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हो तो इकाई के संचालन को अनुमान के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूहों को प्रत्येक सदस्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आईजीए) की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इकाई के संचालन को अनुमान के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

निगरानी के कुछ प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

- समूह का आकार
- निधि प्रबंधन
- निवेश
- आय पीढ़ी
- उत्पादन स्तर
- उत्पाद की गुणवत्ता
- बेचा गया सामान
- बाजार तक की पहुंच

19. टिप्पणी

समूह की सभी महिलाये सामान्य वर्ग से हैं। 25% योगदान लाभार्थियों को होगा। तथा शेष 75% परियोजना की तरफ से प्रदान किया जाएगा।

समूह फोटो: -



द्वारा तैयार: -

श्री मदन लाल शर्मा (सेवािनवृत्त एचपीएफएस)

श्रीमती दीक्षा (एसएमएस)

श्रीमती सिवता (एफटीयू समन्वयक)

व्यापार योजना की स्वीकृति

BUSINESS PLAN APPROVAL BY VFDS & DMU

..Koke...SHG Group will undertaken the ~~Neeraj Ambast~~ livelihood Income Generation Activity under the project for implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem Management & livelihood (JICA assisted). In this regard business plan of amount Rs. 167,500/- has been submitted by group on 09/01/22. And the business plan has been approved by the VFDS...Koke....

Business plan submitted through FTU, for further action please.
Thank you

Sumita Devi
Signature of Group President

निमला देवी
Signature of Group Secretary

[Signature]
Approved

DMU - CUM - Dehra

Resolution - cum - Group Consensus Form

It is decided in the General House meeting of the group ...Kokha...SHG1. at
...Kokha..... that our group will undertake the Vermicompost as Livelihood Income
Generation Activity under the Project for improvement of Himachal- Pradesh
Forest Ecosystem Management & Livelihoods (JICA Assisted).

Sumita Devi
Signature's of Group Pradhan

Sumita Devi
Signature's of Group Secretary

Submitted to DMU through FTU



Name & Signature of FTU Officer

Range Forest Officer
Jawalamukhi Forest Range
Post: Kangra (H.P.) - 176031

Jawalamukhi (H.P)

Savita Devi

SAVITA DEV FTU- Coordinator
Name & Signature of FTU Coordinator

Approved



Name & Signature of DMU officer